सं. 28/30/2004-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003.
दिनांक : 28 अक्तूबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- पेंशन प्रदाय संस्थापनाओं के अधीन कार्य करते समय केन्द्रीय/राज्य और स्वायत्त निकायों के बीच कार्मिकों की आवाजाही ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1-1-2004 से नई पेंशन योजना लागू करते समय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 के नियम-2 में संशोधन सहित विभिन्न मौजूदा नियमावलियों में संशोधन किए गए थे, जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं पर पदों में दिनांक 1-1-2004 से लागू नियुक्त हुए कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं रहे । इन नियमों के तहत दिनांक 1-1-2004 से तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर केन्द्रीय सरकार के विभागों, केन्द्र और राज्य सरकारों और सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के बीच आवाजाही के संबंध में प्राप्त नई तथा परिवर्तित स्थिति दिनांक 26.07.2005 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा भी स्पष्ट की गई थी ।

2. भारत सरकार द्वारा स्थिति की आगे समीक्षा की गई है और दिनांक 31.12.2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों/स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों तथा ऐसे कर्मचारियों, जो अपने संबंधित सरकारों/संगठनों की पुरानी गैर-अंशदायी पेंशन योजना द्वारा अधिशासित होते हैं, की आवाजाही को जारी करने का निर्णय किया गया है, ताकि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 के अनुसार सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं को जारी रखने के निम्नानुसार प्रावधान किया जा सके :-

क. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 और रेलवे पेंशन नियमावली, 1993 के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी विभागों के बीच, अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 को छोड़कर पुरानी पेंशन नियमावली के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य समान गैर-अंशदायी पेंशन प्रदाय कार्यालय ।

ख. राज्य और केन्द्र सरकार के बीच बशर्ते कि कर्मचारी राज्य सरकार (सरकारों) में 31.12.2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त हुए हों और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 के समान पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हों ।

ग. राज्य/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय से केन्द्र/राज्य सरकार के बीच तथा सरकारी स्वायत्त निकायों के बीच आवाजाही की पूर्व मौजूदा व्यवस्था, जो दिनांक 07/02/1986 के

कार्यालय ज्ञापन सं. 28/10/84-पी. एंड पी.डब्ल्यू. तथा 29/6/1984 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28/10/84-पेंशन(एकक) द्वारा दिनांक 31.12.2003 तक लागू पुरानी पेंशन योजना द्वारा अधिशासित होती थी, वह बहाल रहेगी, यद्यपि अंशदायी भविष्य निधि आदि के अंतर्गत आने वालों को दिनांक 1-1-2004 से नियुक्ति पर पुरानी पेंशन योजना में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. ये अनुदेश उपर्युक्त दर्शित सीमा तक दिनांक 26/7/2005 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधान के संशोधन/अतिक्रमण में हैं और 1-1-2004 से लागू होंगे ।

4. ये आदेश व्यय विभाग की सहमति से उनकी दिनांक 5/10/2009 की यू.ओ.सं. 335/ई.V/ 2009 द्वारा तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से उनकी दिनांक 09-10-2009 के यू. ओ. सं. 93-लेखा परीक्षा(नियमावली) के तहत जारी किए जाते हैं ।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में,

1. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महालेखाकार ।
4.. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
7. वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
8. सी.जी.ए. व्यय विभाग, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
9. एन.आई.सी. को, इस विभाग की वेबसाइट pensionersportal.gov.in पर डालने के लिए ।

(राज सिंह)
निदेशक